

Urban Village
Notification dt. 22/4/1982

रीजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.) 187
REGISTERED NO. D (D.N.) 187

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMIN

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



23682

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

PV-1279
P.O-185

5 km 28 Delhi Admin
Delhi

सं० 12]
No. 12]

दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1982/वैशाख 16, 1904

DELHI, THURSDAY, MAY 6, 1982/VAISAKHA 16, 1904

Page 255

भाग III PART III

Handwritten notes and signatures on the left side of the page.

विधिक स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएं Notifications of Statutory Local Bodies

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION, DELHI

स्थानीय स्वशासन
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1982

(LOCAL SELF GOVT. DEPTT.)
NOTIFICATIONS

New Delhi, 22nd April, 1982

सं० 11/6/82-स्था० सं० 3011.—भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 51 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने हुए दिल्ली के उपनगरपालिका वार्डों/विधायक क्षेत्रों में विद्युत अधिकारियों को वे सभी शक्तियां सौंपते हैं, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अनुसार टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं। ये शक्तियां सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित या इस प्रकार स्थापित या अनुमोदित किये जाने वाले किसी टेलीग्राफ के लिये तारें खींचने तथा खम्भे भाड़ने के काम से सम्बन्धित हो इस प्रकार की शक्तियां भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तृतीय भाग में उल्लिखित उपबन्धों के अधीन होंगी।—

No.F.11/6/82-J.SG-3011.—In exercise of the powers conferred by Section 51 of the Indian Electricity Act, 1910, the Lt. Governor of Delhi is pleased to confer upon the Railway Officers named below, all the powers which the Telegraph Authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Govt. or to be so established or maintained, such powers being subject to the provisions contained in Part (iii) of the Indian Telegraph Act, 1885 :—

- (1) मुख्य विद्युतीय अभियन्ता, उत्तरी रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
- (2) मुख्य परिधीय प्रबंधक, रेलवे विद्युतीकरण, मथुरा जंक्शन।
- (3) क्षेत्रीय रेलवे प्रबंधक (प्रशासन) खण्ड, उत्तर रेलवे नई दिल्ली।
- (4) उप मुख्य विद्युतीय अभियन्ता (सं० 11/6/82) रेलवे विद्युतीकरण मथुरा जंक्शन।

- 1. Chief Electrical Engineer, Northern Railway, Barod House, New Delhi.
- 2. Chief Project Manager, Railway Electrification, Mathura Jn.
- 3. Divisional Rail Manager (Tr. D.), Northern Railway, New Delhi.
- 4. Deputy Chief Electrical Engineer (OHE), Railway Electrification, Mathura Jn.

आदेश से,
के.के. शर्मा, उपर सचिव,
स्थानीय स्वशासन

By Order,
K.K. SHARMA, Under Secretary (LSG)

50DG/82

(33)

सत्यापित

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली, 23 अप्रैल, 1982

क्रमांक टी.सी.सी.ओ/82/47.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 507 के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निगम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा घोषणा करता है कि निम्न अनुसूची के कालम 3 में वर्णित तथा उसमें दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार राजस्व भू-सम्पत्ति क्षेत्र में पड़ने वाले, जिनके अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के भाग थे, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहेंगे :—

अनुसूची

क्रम क्षेत्र का नाम नं०	राजस्व भू-सम्पत्ति का नाम	प्रस्तावित शहरीकृत क्षेत्रों का विवरण
1	2	3
I	गर्हिपीन दिल्ली	(1) गढ़ी पीरा (2) नांगलौई संघ (3) मकसूदपुर उक्त गांव की पुरानी आबादी तथा समस्त राजस्व भू-सम्पत्ति शहरी घोषित की गई।
II	दक्षिणी दिल्ली	(1) सराय कालि खा (2) तंगली राजपुर (3) जिजा सराय (4) मझियालपुर (5) लडा सराय —बही— —बही— —बही— —बही— —बही—
III	उत्तर भाग	(1) ... (2) बादली (3) रिथाला (4) वजोराबाद (5) समपुर (6) मंगोलपुर कला उक्त राजस्व भू-सम्पत्ति के समस्त क्षेत्रों जिन्हें, सभी तक शहरीकृत नहीं किया गया है।
IV	शाहदरा क्षेत्र	(1) उस्मानपुर (2) मंडोली कच्ची (3) गिण्डा नेनका (4) कोटा उक्त गांव की पुरानी आबादी तथा समस्त राजस्व भू- सम्पत्ति शहरी घोषित की गई।
V	ग्रामीण क्षेत्र	(1) हैदरपुर (2) साहीपुर (3) मंगोलपुर खुरद (4) शालीमार (5) ज्वालाहेरी (6) पीतम्पुरा उक्त राजस्व भू-सम्पत्ति के समस्त क्षेत्रों जिन्हें सभी तक शहरीकृत नहीं किया गया है।

MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI

Delhi, 23rd April, 1982

No.TCO/82/47.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 507 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Corporation, with the previous approval of the Central Government hereby declares that areas mentioned in column 3 of the Schedule below and falling in the revenue estate/zone as detailed therein hitherto forming part of the rural areas, shall cease to be rural areas :—

SCHEDULE

Sr. No.	Name of the Zone	Name of the Revenue Estate	Particulars of the areas proposed to be urbanised
1	2	3	4
I.	West Delhi	(1) Garhi Peeran (2) Nangloi Sayed (3) Maksoodpur	The old abadi as well as the entire revenue estate of the said village declared as urban
II.	South Delhi	(1) Sarai Kalekhan (2) Nangli Razapur (3) Jia Sarai (4) Mehpal Pur (5) Lado Sarai	—do— —do— —do— —do— —do—
III.	North Zone	(1) Naharpur (2) Badli (3) Rithala (4) Wazirbad (5) Samepur (6) Mangolpur Kallan	—do— —do— —do— —do— —do— The entire remaining areas of the said revenue estate which have not so far been urbanised.
IV.	Shahdara Zone	(1) Usmanpur (2) Mandoli Kachi (3) Ghonda Neenka (4) Kotla	The old abadi as well as the entire Revenue estate of the said village declared as urban
V.	Rural Zone	(1) Haidepur (2) Sahipur (3) Mangolpur Khurd (4) Shalimar (5) Jwala Heri (6) Pitampura	—do— —do— —do— —do— The entire remaining revenue estate which have not so far been urbanised

पी.पी. श्रिवस्तव, सावक
दिल्ली नगर निगम

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982

P.P. Shrivastav, Commissioner
Municipal Corporation of Delhi

सत्यापित
15/5/82
सका के नियंत्रक (प्रशासन)

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

शहरी विकास मंत्रालय

सिविल लाईन्स, दिल्ली-54